

26

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष ... 1983-84 (निरंक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम- जयकुमार तिवारी
 4. वर्तमान वेतन- ₹ 24850 + 3800 (Basic+GP)

2. वर्तमान धारित पद- कां. सहा. श्रेणी-2
 5. भविष्य निधि क्रमांक- 22799000

3. कार्यालय का नाम :- क्षेत्रीय लेखाधिकारी (रांसक) जबलपुर
 6. कर्मचारी संख्या- 81971201 (मं. प्र. 91. 21. 6. 110)

| 1. उस जिले, जग संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | 2. सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे | | 4. वर्तमान मूल्य | 5. यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है | 6. उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्योरा | 7. सम्पत्ति से वार्षिक आय | 8. अभियुक्ति |
|---|---|-----------------------|------------------|--|---|---------------------------|---|
| | 2. गृह तथा अन्य भवन | 3. भूमि | | | | | |
| 1. रूकता नगर विवेका नंद वाड जबलपुर | आवासीय भवन म. न. 469 सी/125 की रूकता नगर जबलपुर | - | 18 लाख लगभग | स्वयं के नाम पर | 30x40 वर्ग फुट मू- 2005 ज. पु. नि. तमिष जबलपुर से खरीद कर 1998-99 में निर्मित | निरंक | मू. पु. नि. तमिष मंडल से भवन आदि म जेकर निर्मित |
| 2. ग्राम- बरही वाड. बीमरखेड़ा जिला- बरबा | - | कुछ भूमि 15 रकड़ लगभग | 15 लाख लगभग | स्वयं के नाम पर | विरासत में जाल वर्ष- 2008 में | 60000/- वार्षिक (लगभग) | पिता से विरासत में जाल |
| 3. विजयनगर (राधुनीपुर) विवेका नंद वाड जबलपुर | मुखण्ड कुठ 1107 विजयनगर जबलपुर | - | 8 लाख लगभग | स्वयं स्व. पत्नी के नाम पर | मुखण्ड 09/2009 में श्री बी. के. मेहता से खरीदा | निरंक | भारतीय स्टेट बैंक से प्रेषण जेकर |

हस्ताक्षर
 नाम - जयकुमार तिवारी
 पद - कां. सहा. श्रेणी-2

जहां जापू न हो काट दीजिये
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं
 मण्डल द्वारा ग्राह्य म. प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि, वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वात्तिकी तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे।